यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रधानाचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, देहरादून के माह 05.2012 से 02.2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय ओझा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री जोगिन्दर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.03.2019 से 07.03.2019 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः कार्यालय को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जिस के अधीन कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को शिक्षा के साथ- साथ सर्वांगीण विकास के क्रियाकलाप कराए जाते है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के समस्त जनजातीय क्षेत्र आते है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2012-13	0.00	0.00	32.76	16.76	55.08	53.47	-	17.61
2	2013-14	0.00	0.00	25.86	24.87	79.43	76.81	-	3.61
3	2014-15	0.00	0.00	44.20	34.40	93.73	93.54	-	9.98
4	2015-16	0.00	0.00	46.20	39.65	55.46	46.23	-	15.78
5	2016-17	0.00	0.00	69.30	39.34	150.63	146.13	-	34.46
6	2017-18	0.00	0.00	59.13	54.28	100.31	99.19	-	5.97
7	2018-19 (02/19)	0.00	0.00	60.86	46.96	189.70	136.74	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2013-14	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2014-15	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2015-16	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2016-17	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2017-18	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2018-19	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

b). सचिव, समाज कल्याण,उत्तराखंड,देहरादून

c). निदेशक, जनजाति कल्याण,देहरादून

d). संयुक्त निदेशक, जनजाति कल्याण,देहरादून

d). उप निदेशक, जनजाति कल्याण,देहरादून

e). प्रधानाचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05.2012 से 02.2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **प्रधानाचार्य,एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,कालसी,देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य,एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,कालसी,देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है । माह 03/2017, 02/2015, 10/2016 एवं 09/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर:1- स्थल चयन उपयुक्त न होने के कारण प्रभावित आवासीय विद्यालय पर परिहार्य (Avoidable) व्यय रु 94.30 लाख।

कार्यालय प्रधानाध्यापक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ,कालसी देहारादून की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि इस विद्यालय कि स्वीकृति जनजातीय कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुछेद 275 (1) के अनुसार राजपत्रित अधिसूचना सं॰ 14020/11/2002-5 G&C दिनांक 19.02.2004 के अनुक्रम मे अगस्त,2010 को जनजातीय कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार के पर्यवेक्षण मे उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रो के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापरक व आधुनिक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करने हेतु (नि:शुल्क आवास ,भोजन ,पाठ्य पुस्तक ,लेखन सामग्री एवं यूनिफ़ोर्म कि सुविधा) 100% केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र कालसी मे आवासीय विद्यालय अगस्त, 2010 से संचालित पाया गया,जिसके लिए 4.75 हेक्टेयर वन भूमि निर्धारित कुछ शर्तो मे से एक प्रमुख शर्त ' याचक विभाग द्वारा जनपद कार्यालय कि संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा 'के अधीन हस्तगत किया गया था। स्थित विद्यालय के पूर्व मे कैचमेंट एरिया तथा पश्चिम मे यमुना नदी की स्थिति पायी गयी तथा विद्यालय का प्रबंधन पंजीकृत संस्था ' एकलव्य विद्यालय संगठन समिति देहारादून द्वारा सचिव,समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की अध्यक्षता मे किया जाना पाया गया।

अभिलेखो की जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया की आवासीय विद्यालय मे प्रवास कर रहे 343 छात्र/छात्राओ द्वारा जुलाई 2017 को भारी बारिश के कारण खतरे के जद तथा बड़े पैमाने पर विद्यालय मे स्थित सम्पत्तियों के नुकसान पर तहसीलदार की रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रेषित की गयी। इसी क्रम मे विद्यालय प्रशासन द्वारा कैचमेंट एरिया से बरसात के दिनों मे आने वाले पानी एवं मलबे को रोकने तथा उसके बहाव की दिशा को परिवर्तित करने हेतु उपचारात्मक कार्य कराये जाने हेतु Retaining Wall के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को प्राक्कलन उपलब्ध कराये गए थे ,परंतु प्रशासन द्वारा मौखिक रूप से जिला आपदा राहत मद से धनराशि प्राप्त कराने मे असमर्थता दर्शायी गयी। इस संबंध मे विद्यालय प्रशासन द्वारा आपदा के पूर्व पत्रांक EAAV/160-162/misc-1/2013-14/ दिनांक 12.06.2013 तथा आपदा के पश्चात दिनांक 09.07.17, 09.08.17, 22.08.17, 18.10.17, 14.05.18, 11.07.18, 24.08.18, 13.12.17, 22.07.17, 28.07.17, 04.07.17 तथा मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से निरन्तर समय-समय पर भविष्य मे घटने की अंदेशा को टालने के लिए शीघ्रताशीघ्र उपचारात्मक कार्य कराये जाने हेतु सरकार के संबंधित विभाग का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया।परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक प्रकरण विचाराधीन पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि विद्यालय प्रशासन को विद्यालय के कैचमेंट एरिया कि जद मे स्थित होने का संज्ञान था। इसी कि चिंता के फलस्वरूप विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यालय कि चारदीवारी, जो नेशनल हाइवे के साथ लगी है,पर संभावित मलबे को रोकने हेतु रिटेनिंग वाल के निर्माण हेतु नेशनल हाईवे के देहारादून स्थित मुख्य अभियंता को अपने पत्र सं॰ EAAV/160-162/misc-1/2013-14/ दिनांक 12.06.2013 के माध्यम से पूर्व मे

ही अनुरोध किया जा चुका था। जिसके प्रत्युतर मे अधीक्षण अभियंता नेशनल हाइवे देहारादून द्वारा अधिशासी अभियंता नेशनल हाइवे खंड लोक निर्माण विभाग को इस पर आवश्यक कार्य हेतु लिखा गया था।

उत्तर मान्य नहीं है,प्रकरण खतरे के जद मे आवासीय विद्यालय मे प्रवास कर रहे छात्र /छात्राओ से है, स्थल चयन के संबंध मे भूगर्भवेता रिपोर्ट मे इस बात की पुष्टि की गयी थी की उत्तरी भाग से वर्षाकाल मे सतही एवं अंतर्सतही जल के कारण प्रश्नगत विद्यालय परिसर को प्रभावित होने से नकारा नहीं जा सकता। जिसे नियंत्रित किए जाने के लिए विद्यालय परिसर के उत्तरवत एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर समुचित उपाय किए जाने अनिवार्य होंगे , इस संबंध मे वन भूमि हस्तांतरण के समय इस बात का उल्लेख भी किया गया था कि भू-वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। इसी तारतम्य मे लेखापरीक्षा दल द्वारा मौके कि भौतिक निरीक्षण कर मामले कि जानकारी ली गयी जिसमे भूगर्भवेता के इंगित बिन्दु सही पाये गए तथा ली गयी तस्वीर की पुष्टि इकाई द्वारा की गई। एक तो अनुपयुक्त स्थल चयन से खतरे की प्रबलता पाई गयी फलत: रु 94.30 लाख से नुकसान शासकीय संपत्ति की भरपाई की गयी।दूसरा अनुपयुक्त स्थल के उपचारात्मक हेतु अभी तक कोई कदम न उठाना ,विभाग की घोर शिथिलता का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1:- रु. 337.54 लाख का व्यय छात्रों के कल्याण पर न कर अन्यत्र व्यय किये जाने का प्रकरण पाया जाना।

In revised guidelines for setting up Eklavya Model Residential Schools (June 2010) Para vi Costs & Budget point no. (ii) Recurring cost during the first year for schools would be @ Rs. 42000/- per child. This may be raised by 10% every second year to compensate for inflation etc. and point no. (iii) For procurement of essential, Non-Recurring items like furniture/equipments including for kitchen, dining, hostel, recreation, garden etc. @ Rs. 10.00 lakh per school will be allowed once in every 5 years, allowing for inflation.

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,कालसी ,देहरादून के अभिलेखों की जाँच में तथ्य प्रकाश में आया कि विद्यालय द्वारा गाइडलाइन्स के विपरीत छात्र/छात्राओ पर Recurring मद में वार्षिक रु. 42000/- के स्थान पर केवल रु. 26000/- ही व्यय किये गए है तथा शेष राशि रु. 16000/- को Non-Recurring मद में व्यय किया जाना पाया गया। पुन: जून 2015 से Recurring मद में रु. 42000/- के स्थान पर रु. 27450/- ही व्यय किये गए तथा शेष रु. 14550/- प्रति छात्र Non-Recurring मद में व्यय किये गए। जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन्स से स्पष्ट है कि रु. 42000/- प्रति छात्र Recurring मद में ही व्यय करना है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 02/2019 तक छात्र/छात्राओ पर किये गए व्यय विसंगतियों का विवरण निम्नवत पाया गया:-

वर्ष	कुल छात्र	प्रति छात्र अनुमन्य राशि	प्रति छात्र वास्तविक व्यय	अंतर धनराशी	वर्षवार अनुमन्य से कम किया गया व्यय
2012-13	180	42000	26000	16000	28,80,000
2013-14	234	42000	26000	16000	37,44,000
2014-15	297	42000	26000	16000	47,52,000
2015-16	344	42000	27450	14550	50,05,200
2016-17	397	42000	27450	14550	57,76,350
2017-18	401	42000	27450	14550	58,34,550
2018-19	396	42000	27450	14550	57,61,800
				Total	3,37,53,700

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि विद्यालय प्रारम्भ होने के वर्ष 2010-11 से अद्यतन वर्ष 2018-19 तक मात्र फर्नीचर हेतु ही रु. 10.00 लाख प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में बच्चो की आवश्यकता से सम्बंधित विभिन्न Non-Recurring सामग्री का क्रय भी आवश्यकतानुसार रु. 42000/- से ही किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देश से स्पष्ट है कि Recurring मद के लिए रु. 42000/- अलग से दिए जायेंगे जो बच्चो के कल्याण पर व्यय किये जायेंगे और Non-Recurring व्यय के लिए रु. 10.00 लाख प्रति 5 वर्ष में दिए जायेंगे जो वर्ष 2012-13 में विद्यालय को अवमुक्त किये गए थे। इस प्रकार रु. 337.54 लाख का व्यय छात्रों पर न कर अन्यत्र व्यय किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 कर्मचारियों के मानदेय धनराशि से पी.एफ./ई.एस.आई. की कटौती न किया जाना।

EPF व Miscellaneous Provision Act 1952 के Chapter-I के बिन्दु (1) के अनुसार किसी भी संस्था जहाँ पीआर 20 या अधिक कर्मी कार्यरत है उनका Registation EPFO मे होना चाहिए व उनका PF अंशदान नियुक्ति के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होना चाहिये

लेखा परीक्षा के दौरान पाया ज्ञ कि एकलव्य विद्यालय मे कुल 35 मे से 31 कर्मी यानि 89% कर्मी अनियमित है जो कि शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक वर्ग मे सेवा दे रहे है। इन कर्मियों को मानदेय के रूप मे एकमुश्त धनराशि मिलती है जिसमे किसी भी प्रकार का PF/ESI अंशदान कि कटौती नहीं कि जा रही थी न ही उनका नाम EPFO मे पंजीकृत था।

उपरोक्त के संबंध मे इकाई द्वारा बताया गया की केंद्र अथवा समिति स्तर से PF अंशदान हेतु कोई भी दिशा निर्देश नहीं है व निकट भविष्य मे इस संबंध मे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजंक नहीं पाया गया विद्यालय संचालन में शासकीय नियमावली से अद्यतन न होना उदासीनता का प्रकरण दर्शाता है अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- बचत खाता से अर्जित ब्याज कि धनराशि रु. 10.96/- लाख राजकोष मे जमा नहीं कराया जाना।

शासनादेश संख्या 875(**1**)/वित्त अनुभाग-3 दिनांक 30 अप्रैल 2003 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि राजकोष मे लेखाशीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" के अंतर्गत जमा कर दी जानी चाहिए।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि मई 2012 से फरवरी 2019 के बीच खाता संख्या- 1843000100202324 (पंजाब नेशनल बैंक) मे रु. 10.96/- लाख ब्याज के रूप में अर्जित हुआ था। परंतु शासकीय धनराशि 07 वर्षो से खाते मे अवरुद्ध पड़ी हुई पायी गयी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि व्याज को व्यय अथवा सरकारी कोष में जमा करने के सम्बन्ध में कोई भी दिशा निर्देश केंद्र/एकलव्य विद्यालय संघठन समिति से प्राप्त नहीं है। उपरोक्त प्रकरण को विद्यालय संगठन समिति कि अगली बैठक में रखा जायेगा।

उत्तर मान्य नही है, नियमानुसार इस अर्जित ब्याज को राजकोष मे जमा कराया जाना चाहिए था, परंतु यह इकाई द्वारा उक्त राशि को अवरुद किया गया जो कि नियम विरुद्ध था।

अतः ब्याजराशि रु. 10.96/-लाख को नियमानुसार राजकोष मे जमा नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(**क**) कागजातों का रख-रखाव भली भांति किया जा रहा है।

(**ख**)विद्यालय के सुचारु रूप से चलाये जाने की प्रशंसा की जाती है।

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ. गिरीश चन्द्र बडोनी	प्रधानाचार्य,एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,कालसी देहरादून	05.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,कालसी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.